भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 239
उत्तर देने की तारीख 03.02.2022

खादी उद्योग

239. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्री गौतम सिगामणि पोनः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री रेबती त्रिपुराः
श्री सुभाष रामराव भामरेः
श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
श्री धनुष एम. कुमारः
श्री जी. सेल्वमः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री अनुराग शर्माः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में खादी उद्योगों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बेचे जाने वाले खादी उत्पाद बहुत महंगे हैं जिसके परिणामस्वरूप खादी उत्पादों की बिक्री में कमी आई है और यदि हां, तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झांसी, ललितपुर सहित उत्तर प्रदेश राज्य में तथा त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में संचालित खादी संस्थाओं की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का खादी क्षेत्र की पहुंच बढ़ाने का कोई विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या खादी संस्थाओं की संख्या दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार की खादी क्षेत्र की किसी इकाई/संस्था को बंद करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) खादी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा खादी की मांग बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नारायण राणे)

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने देश में खादी उद्योग की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन संचालित नहीं किया है। तथापि, खादी गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए, केवीआईसी ने खादी संस्थानों द्वारा निर्मित खादी कपड़े के वास्तविक परीक्षण के लिए केवीआईसी के केन्द्रीय स्लाइवर संयंत्रों के परिसरों में परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की है।

इसके अलावा, केवीआईसी ने खादी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करके हाथ से कताई एवं हाथ से बुनाई प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित खादी संस्थानों के साईट पर सत्यापन को पूरा करने के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की वस्त्र समिति के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी किया है।

(ख) खादी का उत्पादन एक श्रम गहन प्रक्रिया है। खादी के उत्पादन की कुल लागत में, 48 प्रतिशत श्रम शुल्क होते हैं जिससे इसकी लागत में बढ़ोतरी होती है, जब इसकी तुलना खुला बाजार वस्त्रों से की जाती है। खादी का अनूठापन इसके हाथ से कताई, हाथ से बुनाई और पर्यावरण अनुकूल होने के कारण है। खादी की बिक्री केवीआईसी द्वारा छूट के कारण वर्ष 2019-20 तक बढ़ी थी परंतु इसके उपरांत कोविड-19 महामारी के कारण इसमें कमी हुई थी।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश मेंविशेषकर त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र, झांसी और ललितपुर सहित उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में क्रियाशील खादी संस्थानों (केआई) की कुल संख्या निम्नानुसार हैः

वर्ष	**क्रियाशील केआई की कुल संख्या**	**महाराष्ट्र में केआई**	**तमिलनाडु में केआई**	**झांसी एवं ललितपुर सहित उत्तर प्रदेश में केआई**	**त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर में केआई**
2018-19 **तक**	2518	39	69	762	30
2019-20 **तक**	2632	40	70	762	32
2020-21 **तक**	2737	40	74	763	35
वर्तमान में क्रियाशील	2816	40	80	770	35

(घ) खादी क्षेत्र की पहुँच के विस्तार के लिए, सरकार केवीआईसी के माध्यम से खादी के विज्ञापन और बाजार संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और जिला स्तरीय प्रदर्शनियों को संचालित कर रही है। केवीआईसी ई-कॉमर्स के माध्यम से खादी उत्पादों के अलावा स्थानीय, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया में भी खादी और पॉलीवस्त्र उत्पादों के लिए व्यापक प्रचार कर रहा है। इसके अतिरिक्त, नए डिजाइनों को विकसित करने के लिए डिजाइनरों की सेवाओं के लिए तथा डिजाइन विकास के लिए सॉफ्टवेयर और उनके बिक्री आउटलेटों के नवीकरण, कम्प्यूटरीकरण के लिए खादी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान क्रियाशील खादी संस्थानों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है जैसा कि उत्तर के उपर्युक्त भाग (ग) में दर्शाया गया है।

(च) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) खादी का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी मांग में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा लिए गए/उठाए गए कदम **अनुबंध** में दिए गए हैं।

*****

अनुबंध

दिनांक 03.02.2022 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 239 के भाग (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

खादी के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए इसकी मांग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लिए गए/उठाए गए कदमः

i) खादी की मांग को बढ़ाने के लिए केवीआईसी भारतीय और वैश्विक बाजार में प्रभावी रूप से उच्च गुणवत्ता विभिन्नतायुक्त खादी उत्पादों का डिजाइन, उत्पादन और विक्रय के लिए खादी संस्थानों की सहायता के लिए गांधीनगर, कोलकाता, शिलाँग, बेंगलुरू स्थित इसके चार स्पोक्स और एनआईएफटी दिल्ली (हब केन्द्र) स्थित एनआईएफटी, नई दिल्ली को तकनीकी सहायता सहित खादी हेतु श्रेष्ठता केन्द्र (सीओईके) स्थापित कर रहा है।

ii) प्रत्येक वर्ष, नए खादी संस्थानों को पंजीकृत किया जा रहा है जिससे खादी की मांग सृजित करके उत्पादन में वृद्धि होती है।

iii) केवीआईसी खादी क्षेत्र के संवर्धन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां प्रदान कर रहा है।

iv) केवीआईसी संशोधित बाजार विकास सहायता स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य कारीगरों/कार्यकर्ता अवसंरचना विकास इत्यादि के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना, बाजार मांग गुणवत्ता उत्पादों का सृजन, घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के आयोजन/भागीदारी के लिए विपणन नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, प्रभावी मूल्य निर्धारण के लिए खादी उत्पादों का बाजार बांटना है।

v) खादी के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए, सरकार, केवीआईसी के माध्यम से ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईसेक) स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसमें खादी संस्थानों की आवश्यकता के अनुरूप कार्यशील पूंजी तथा पूंजीगत व्यय हेतु 4 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज की रियायती दर पर ऋण दिया जाता है।

vi) 'युवाओं के लिए युवाओं द्वारा डिजाइन' के साथ युवा केन्द्रित खादी उत्पादों की योजना बनाई जा रही है। खादी क्षेत्र में विजयी प्रविष्टियों/डिजाइनों की प्रतिकृति बनाने के लिए डिजाइन प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई है।